

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी :- श्री महेश चन्द्र मान आर. ए. एस.

प्रा० पत्र
3/136/13

तारीख रजू
02.05.2013

तारीख निर्णय
05.08.2019

उनवान

1. अमरसिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति गुर्जर निवासी चौरोटी पहाड तहसील रामगढ़
.....प्रार्थी/वादी
बनाम

1. राजू गुर्जर पुत्र स्व० श्री विजय सिंह गुर्जर जाति गुर्जर नि० चौरोटी पहाड तह० रामगढ़
2. मु० निम्मो गुर्जर पुत्री स्व० श्री विजय सिंह गुर्जर जाति गुर्जर नि० चौरोटी पहाड तह० रामगढ़ (वारिस काबिज जायदाद विजय सिंह गुर्जर पुत्र स्व० श्री गणपत सिंह गुर्जर निवासी चौरोटी पहाड तह० रामगढ़।
.....असल प्रतिवादीगण /अप्रार्थीगण
3. हुकमसिंह गुर्जर पुत्र स्व० श्री रतन सिंह गुर्जर निवासी चौरोटी पहाड तह० रामगढ़ हाल निवासी मौहल्ला गालिब सैयद, अलवर।
4. नरेन्द्र सिंह गुर्जर पुत्र स्व० श्री रतन सिंह गुर्जर निवासी चौरोटी पहाड तह० रामगढ़ हाल निवासी मौहल्ला गालिब सैयद, अलवर।
5. कमलसिंह गुर्जर पुत्र स्व० श्री रतन सिंह गुर्जर निवासी चौरोटी पहाड तह० रामगढ़ हाल निवासी मौहल्ला गालिब सैयद, अलवर।
6. श्रीमती पिंकी बेवा स्व० श्री मोहन सिंह गुर्जर निवासी चौरोटी पहाड तहसील रामगढ़ हाल निवासी मौहल्ला गालिब सैयद, अलवर।
7. बेबी शैली पुत्री स्व० श्री मोहन सिंह गुर्जर निवासी चौरोटी पहाड तहसील रामगढ़ हाल निवासी मौहल्ला गालिब सैयद, अलवर।
8. बेबी डोली पुत्री स्व० श्री मोहन सिंह गुर्जर निवासी चौरोटी पहाड तहसील रामगढ़ हाल निवासी मौहल्ला गालिब सैयद, अलवर।
9. मास्टर रोहित पुत्र स्व० मोहन सिंह गुर्जर निवासी चौरोटी पहाड तहसील रामगढ़ हाल निवासी मौहल्ला गालिब सैयद, अलवर। नाबालिगान बसरपरस्ती श्रीमती पिंकी बेवाह स्व० श्री मोहन सिंह गुर्जर निवासी ग्राम चौरोटी पहाड हाल निवासी मौहल्ला गालिब सैयद, अलवर।
10. श्रीमती ललता देवी गुर्जर बेवा स्व० रतन सिंह गुर्जर निवासी ग्राम चौरोटी पहाड हाल निवासी मौहल्ला गालिब सैयद, अलवर। वारिस काबिज जायदाद रतन सिंह गुर्जर पुत्र स्व० श्री गंगाबक्श गुर्जर निवासी चौरोटी पहाड तहसील रामगढ़ जिला अलवर।
11. श्रीमती रेखा बेवा स्व० श्री किशन सिंह गुर्जर निवासी चौरोटी पहाड तहसील रामगढ़ हाल निवासी मौहल्ला गालिब सैयद, अलवर।
12. श्रीमती शीला धर्मपत्नी श्री हंसराज गुर्जर पुत्री स्व० किशन सिंह गुर्जर निवासी ढाणी ढढीकर तहसील अलवर।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

(2)

13. श्रीमती सविता पुत्री स्व० श्री किशन सिंह गुर्जर धर्मपत्नी श्री सीताराम गुर्जर निवासी ग्राम बहादरपुर तहसील अलवर।
14. श्रीमती कविता पुत्री स्व० श्री किशन सिंह गुर्जर धर्मपत्नी श्री हरदयाल गुर्जर निवासी ग्राम बहादरपुर तहसील अलवर।
15. श्रीमती गायत्री पुत्री स्व० किशन सिंह गुर्जर धर्मपत्नी श्री कमलसिंह गुर्जर निवासी ढाणी ढढीकर तहसील अलवर।
16. ईश्वरी पुत्र स्व० श्री किशन सिंह गुर्जर निवासी ग्राम ढाणी ढढीकर तहसील अलवर हाल निवासी गालिब सैयद, अलवर। (वारिस काबिज जायदाद किशन सिंह गुर्जर पुत्र स्व० श्री गंगाबक्श गुर्जर निवासी चौरोटी पहाड तहसील रामगढ जिला अलवर।

.....तरतीबी प्रतिवादीगण


(राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू
राजस्व अधिनियम 1955)

उपस्थित अभिभाषकगण -

1. श्री धर्मपाल चौधरी एडवोकेट - प्रार्थी/वादी
2. श्री देवेन्द्र कुमार जैन एडवोकेट - अप्रार्थी/प्रतिवादीगण

निर्णय

वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का विवरण संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 685 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 730 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 731 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, 735 रकबा 14 बिस्वा कुल कित्ता 4 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 1188 रकबा 0.61, 1214 रकबा 0.16, 1215 रकबा 0.17, 1216 रकबा 0.68, 1217 रकबा 0.13, 1218 रकबा 0.12, 1222 रकबा 0.18 हैक्ट० कुल कित्ता 7 रकबा 2.05 हैक्ट० वाके ग्राम चौरोटी पहाड तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजीयात में वादी के पिता श्री लक्ष्मीनारायण तथा तरतीबी प्रतिवादी सं० 3 ला० 16 के बुजुर्गान श्री गंगाबक्श का 1/3-1/3 यानि 2/3 हिस्सा असल प्रतिवादी सं० 1 व 2 के बुजुर्गान श्री देवीसिंह व श्री विजयसिंह का 1/3 हिस्सा है। राज्य सरकार द्वारा अपने नोटिफिकेशन सं० एफ-4-11-राज-4-74-79 दिनांक 29.07.1986 में यह अंकित किया गया है कि :- राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि ऐसा रजिस्टर रखने से, काश्तकारों का कोई हित नहीं होकर आपसी विवादों में वृद्धि हुई है। अतः इस सम्बन्ध में विचार कर राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि शिकमी काश्तकारों के सम्बन्ध में अलग से


उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

(3)

रजिस्टर रखने व उसमें शिकमी काश्त आदि का इन्द्राज करने की आवश्यकता नहीं होने से इस हेतु रखे जाने वाले रजिस्टर को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जावे। आराजी मुतनाजा की बाबत न्यायालय द्वारा दिनांक 27.07.1985 को तहसीलदार अलवर को रिसीवर नियुक्त कर आराजी मुतनाजा को कब्जेराज में लेने का आदेश फरमाया गया था। जो आदेश आज दिन तक प्रभावी है तथा आराजी मुतनाजा दिनांक 27.07.1985 से आज तक रिसीवर के कब्जे में चली आ रही है। माननीय राज्य सरकार के उपरोक्त परिपत्र की अनुपालना में उपरोक्त वर्णित आराजीयात की बाबत प्रतिवादीगण असल सं० 1 ला० 10 के बुजुर्गान श्री देवीसिंह व विजय सिंह के नाम के हुए बकाश्त के अंकन को राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जाकर उसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किया जाना न्यायहित में न्यायोचित व न्यायसंगत है।

अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 685 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 730 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 731 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, 735 रकबा 14 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1188 रकबा 0.61, 1214 रकबा 0.16, 1215 रकबा 0.17, 1216 रकबा 0.68, 1217 रकबा 0.13, 1218 रकबा 0.12, 1222 रकबा 0.18 हैक्ट० कुल किता 7 रकबा 2.05 हैक्ट० वाके ग्राम चौरोटी पहाड तहसील रामगढ़ जिला अलवर की बाबत प्रतिवादीगण असल सं० 1 व 2 के बुजुर्गान श्री विजय सिंह के नाम के हुए बकाश्त के अंकन को राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जाकर उसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने की आज्ञा सादिर फरमाने की कृपा की जावे।

प्रार्थी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थी को जर्गे नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं० 12 की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र वर्णित आराजीयात राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी हाल के मुताबिक मिन अप्रार्थी के पिता स्व० श्री विजय सिंह का 1/3 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा बनता है जिसका ही विरासत का तर्का मिन अप्रार्थी को प्राप्त हुआ है। और मिन अप्रार्थी को अपने पिता के हिस्सा की आराजीयात की बाबत अपने पिता के जीवन काल से ही समस्त अधिकारात मालिकाना काबिजाना खातेदारी आदि के आयद चले आ रहे हैं। उक्त हालात में प्रार्थी मिन अप्रार्थीयान का नाम कलमजन कराने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थी द्वारा मिन अप्रार्थी को बेजा क्षति कारित करने की नियत व गर्ज से आराजी पर कब्जा रिसीवर कराया हुआ है। प्रार्थी द्वारा



शुभ चण्ड अधिकारी
अलवर (अलवर)

(4)

मिन अप्रार्थी के हिस्सा की भूमि को हडप करने की नियत व गर्ज से मौजूदा प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर बनाकर पेश किया गया है। जो काबिल पेश रफ्त नहीं है। उक्त आराजी की बाबत यदि मिन अप्रार्थीयान का नाम कलमजन किया जाता है तो उस सूरत में मिन अप्रार्थी को ऐसा भारी नापूर्ति होने वाला नुकसान होता है कि जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से पूरी किया जाना संभव नहीं हो पावेगा। ऐसी सूरत में भी प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों पर पेश किया गया आवेदन पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं० 3 ला० 9 की ओर से जवाब इस प्रकार है कि विवादित आराजी के सम्बन्ध में एक नियमित वादपत्र वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी 20.09.2013 नियत की हुई है। जब नियमित वाद पत्र न्यायालय में विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति में समरी प्रोसिडिंग कार्यवाही स्थगित कर देनी चाहिए। जो भी विचाराधीन वादपत्र में आदेश परित किया जायेगा उसमें वादी एवं प्रतिवादीगण प्रभावित रहेगे। धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम के तहत वादपत्र न्यायालय में मेन्टेनेबिल नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है।

उभयपक्ष के विद्वान वकूलय की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजीयात में वादी के पिता श्री लक्ष्मीनारायण तथा तरतीबी प्रतिवादी सं० 3 ला० 16 के बुजुर्गान श्री गंगाबक्श का 1/3-1/3 यानि 2/3 हिस्सा असल प्रतिवादी सं० 1 व 2 के बुजुर्गान श्री देवीसिंह व श्री विजयसिंह का 1/3 हिस्सा है। राज्य सरकार द्वारा अपने नोटिफिकेशन सं० एफ-4-11-राज-4-74-79 दिनांक 29.07.1986 में यह अंकित किया गया है कि :- राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि ऐसा रजिस्टर रखने से, काश्तकारों का कोई हित नहीं होकर आपसी विवादों में वृद्धि हुई है। अतः इस सम्बन्ध में विचार कर राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि शिकमी काश्तकारों के सम्बन्ध में अलग से रजिस्टर रखने व उसमें शिकमी काश्त आदि का इन्द्राज करने की आवश्यकता नहीं होने से इस हेतु रखे जाने वाले रजिस्टर को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जावे। आराजी मुतनाजा की बाबत न्यायालय द्वारा दिनांक 27.07.1985 को तहसीलदार अलवर को रिसीवर नियुक्त कर अराजी मुतनाजा को कब्जेराज में लेने का आदेश फरमाया गया था। जो आदेश आज दिन तक प्रभावी है तथा आराजी मुतनाजा दिनांक 27.07.1985 से आज तक


उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

(5)

रिसीवर के कब्जे में चली आ रही है। माननीय राज्य सरकार के उपरोक्त परिपत्र की अनुपालना में उपरोक्त वर्णित आराजीयात की बाबत प्रतिवादीगण असल सं० 1 ला० 10 के बुजुर्गान श्री देवीसिंह व विजय सिंह के नाम के हुए बकाशत के अंकन को राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जाकर उसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किया जाना न्यायहित में न्यायोचित व न्यायसंगत है। अप्रार्थी के विद्वान वकील ने बहस के दौरान जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजी के सम्बन्ध में एक नियमित वादपत्र वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच न्यायालय में विचाराधीन है। जब नियमित वाद पत्र न्यायालय में विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति में समरी प्रोसिडिंग कार्यवाही स्थगित कर देनी चाहिए। जो भी विचाराधीन वादपत्र में आदेश परित किया जायेगा उसमें वादी एवं प्रतिवादीगण प्रभावित रहेंगे। धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत वादपत्र न्यायालय में मेन्टेनेबिल नही होने के कारण खारिज योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं उभयपक्ष के विद्वान वकूलाय की बहस पर मनन किया। जिससे प्रतीत होता है कि विवादित आराजी के सम्बन्ध में एक नियमित वादपत्र 1/14/2001 वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच इस न्यायालय में विचाराधीन है। अब उक्त वाद को मैरिट पर निर्णित किया जा चुका है। इसलिए इस वाद को आगे चलाने का कोई औचित्य नही रह जाता है। अतः वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात से सम्बन्धित वाद सं० 1/14/2001 निर्णित किये जाने के इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नही है। वैसे भी यह रिलीफ धारा 136 में कवर नही होती है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 05.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05.08.19
उपखण्ड अधिकारी
सामगाढ़ (अलवर)